1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम जनवरी 1, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 59 में उप–नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''(6) इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी,–

(क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने पिछले दो महीने के लिए जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है तो उसे धारा 37 के अधीन जीएसटीआर–1 में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उप–धारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अतंर्गत प्ररूप जीएसटीआर–1 या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिस पर नियम 86ख के अधीन यह प्रतिबंध हो कि 99 प्रतिशत से अधिक देय कर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अतंर्गत प्ररूप जीएसटीआर–1 या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
(जगदीश चन्द्र शर्मा),
अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021, dated 11th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 1/2021-State Tax

Shimla-2, the 11th June, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021.—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (First Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force with effect from 1st January, 2021.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter in this notification referred to as the said rules), in rule 59, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(6) Notwithstanding anything contained in this rule,—

(a) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1, if he has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding two month,

(b) a registered person, required to furnish return for every quarter under the proviso to sub-section (1) of Section 39, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in FORM GSTR- 3B for preceding tax period;

(c) a registered person, who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of ninety-nine percent of such tax liability under rule 86B, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding tax period.".

By order,

Sd/-
(JAGDISH CHANDER SHARMA),
Addl. Chief Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संख्याः 7 / 2021–राज्य कर

शिमला–2, 14 जून, 2021

संख्या ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–4 / 2021.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थातः–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है।